



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 1 राँची, बुधवार
14 पौष, 1944 (श०)
4 जनवरी, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 1- 14 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****श्रम] नियोजन] प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग****संकल्प**

27 दिसम्बर, 2022

संख्या-01/स्था०श्र०नि०प्र०(गो०)-10-4/08-1993--श्री अवधेश कुमार सिंह तत्कालीन कारखाना निरीक्षक]जमशेदपुर अंचल]सम्प्रति सेवानिवृत्त कारखाना निरीक्षक]राँची अंचल-2-सह-प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक]झारखण्ड]राँची के संचालित विभागीय कार्यवाही एवं तत्पश्चात् अधिरोपित दंड के संबंध में बिन्दुवार स्थिति निम्नरूपेण है:-

- I. श्रम]नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग]बिहार]पटना के संकल्प सं०-201 दिनांक-15-07-2004 द्वारा श्री सिंह को निन्दन एवं दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित किया गया] लेकिन इस संकल्प/आदेश में श्री सिंह को निलंबन से मुक्त नहीं किया गया।
- II. पुनः श्रम]नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग]बिहार]पटना के ज्ञापांक-236 दिनांक-17-08-2004 द्वारा दिनांक-28-02-2002 के प्रभाव से श्री सिंह तत्कालीन कारखाना निरीक्षक]जमशेदपुर अंचल को निलंबन मुक्त करते हुए निम्न दंड अधिरोपित किया गया था:-

(क) निन्दन की सजा।

(ख) दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक।

- III. माननीय मुख्यमंत्री]बिहार]पटना के अनुमोदनोपरांत आयुक्त एवं सचिव]श्रम]नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग]बिहार]पटना के पत्रांक-470 दिनांक-01.03.2002 द्वारा श्री सिंह पर लगाए गए मामलें/आरोप झारखण्ड राज्य में पड़ने/अवस्थित होने के कारण इसकी जाँच निगरानी विभाग] झारखण्ड]राँची कराने हेतु संबंधित परिवाद पत्र भेजते हुए श्रम]नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग] झारखण्ड]राँची से अनुरोध किया गया। इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग] बिहार] पटना के पत्रांक-299 दिनांक-05.02.2013 द्वारा भी निगरानी विभाग]झारखण्ड]राँची से जाँच कराने के संबंध में अपेक्षित कार्यवाई किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

- IV. विधि विभाग]झारखण्ड]राँची के परामर्श एवं सचिव महोदय के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री]श्रम]नियोजन]प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निगरानी विभाग]झारखण्ड]राँची से मामलें की जाँच हेतु अनुमोदन प्राप्त है।

- V. विभागीय पत्रांक-765(अनु०)]दिनांक-15.04.2014 द्वारा मंत्रिमंडल (निगरानी)विभाग]झारखण्ड]राँची से श्री सिंह तत्कालीन कारखाना निरीक्षक]जमशेदपुर अंचल]पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध आरोपों की जाँच प्रारंभ किये जाने का अनुरोध किया गया।
- VI. श्री अवधेश कुमार सिंह कारखाना निरीक्षक]राँची अंचल-02]अतिरिक्त प्रभार मुख्य कारखाना निरीक्षक] झारखण्ड]राँची दिनांक-30.04.2014 को सेवानिवृत्त हो गए। निगरानी विभाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण श्री सिंह सेवानिवृत्त कारखाना निरीक्षक को 90% औपबंधिक पेंशन/उपादान की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-1375 दिनांक-06.07.2015 द्वारा प्रदान की गई।
- VII. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)] झारखण्ड]राँची के पत्रांक-2426 दिनांक-02.12.2015 द्वारा यह सूचित किया गया कि श्री सिंह तत्कालीन कारखाना निरीक्षक] जमशेदपुर अंचल पर लगाया गया आरोप निराधार प्रतीत होता है अतएव] भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर पी०ई०-20/2014 दिनांक-09.10.2014 को सरकार द्वारा संचिकास्त कर दिया गया।
- VIII. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)] झारखण्ड]राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सचिव महोदय के अनुमोदनोपरांत श्री सिंह सेवानिवृत्त कारखाना निरीक्षक]राँची अंचल-02 को शतप्रतिशत (100%) पेंशन/उपादान की स्वीकृति विभाग द्वारा प्रदान की गई।
2. श्री सिंह तत्कालीन कारखाना निरीक्षक] जमशेदपुर अंचल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि श्री सिंह तत्कालीन कारखाना निरीक्षक द्वारा अपने ऊपर गठित आरोपों से मुक्ति हेतु मुख्य सचिव] बिहार]पटना से अपील किया गया था।
3. उपर्युक्त वर्णित सारी धटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि श्रम] नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग] बिहार] पटना के संकल्प सं०-201 दिनांक-15.07.2004 एवं 236 दिनांक-17.08.2004 द्वारा गठित आरोपों क्रमशः निन्दन एवं दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का आदेश आज भी]प्रभावी है]जिसमें निन्दन की सजा तो खत्म हो गई निन्दन की सजा निर्धारित कालावधि के बीत जाने के कारण समाप्त हो गई]लेकिन दो वार्षिक वेतन वृद्धि को संचयात्मक प्रभाव से रोकने का आदेश आज भी प्रभावी है।
4. विभाग द्वारा उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 30.04.2014 को श्री सिंह को प्राप्त वेतन के आधार पर निगरानी विभाग]झारखण्ड]राँची द्वारा आरोप निराधार होने का प्रतिवेदन दिए जाने के कारण शतप्रतिशत (100%) पेंशन/उपादान की स्वीकृति दी गई

5. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण)नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली] 2022 का अवलोकन करना चाहेंगे। संशोधित नियमावली की कंडिका -6 (प) में उल्लेखित है कि “जिन मामलों में मुख्यमंत्री के स्तर से दंड/सजा की स्वीकृति दी गई है।वैसे मामलों में अपील आवेदन पर विभागीय संलेख के माध्यम से प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के समक्ष विचरार्थ रखा जाएगा।मंत्रिपरिषद् के निर्णय के अपील को निस्तारित किया जाएगा”।
6. श्री सिंह के अपील अभ्यावेदन में किसी प्रकार के कोई नये तथ्य का उल्लेख नहीं रहने के कारण पूर्व संसूचित दण्ड में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता उचित प्रतीत नहीं होती है ।
7. वर्णित स्थिति में श्रमनियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग[बिहार] पटना के संकल्प सं०-201, दिनांक-15.07.2004 के द्वारा संसूचित दण्ड-“दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक”को यथावत् बनाये रखने का प्रस्ताव है।
8. उपर्युक्त के आलोक में श्री सिंह तत्कालीन कारखाना निरीक्षक[जमशेदपुर अंचल]पूर्वी सिंहभूम पर अधिरोपित दण्ड यथा-“दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक”से संबंधित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।
9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति श्रमनियोजन[प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के जापांक-1818 दिनांक-31.11.2022 के क्रम में दिनांक-14.12.2022 की बैठक के मद सं०-01 में दी गई है ।

पवन कुमार,
संयुक्त सचिव
श्रमनियोजन[प्रशिक्षण एवं कौशल विकास
विभाग]
झारखण्ड[राँची] ।

श्रम] नियोजन] प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

3 जनवरी, 2023

अधि० सं०-1/श्र०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श्र०नि०-19--श्री धनंजय कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, डाल्टनगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विश्रामपुर, पलामू के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है ।

अधि० सं०-1/श्र०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श्र०नि०-20--श्री मनु कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, चतरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किशुनपुर, चतरा के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है ।

अधि० सं०-1/श्र०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श्र०नि०-21--श्री नीरज कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, गढ़वा को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चिनिया, गढ़वा के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है ।

अधि० सं०-1/श्र०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श्र०नि०-22--श्री अश्विनी कुमार सिंह, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, लोहरदगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैरो, लोहरदगा के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है ।

अधि० सं०-1/श्र०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श्र०नि०-23--श्री चेतन कुमार शर्मा, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, लातेहार को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरवाडीह, लातेहार के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है ।

अधि० सं०-1/श्र०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श्र०नि०-24--श्री श्रीराम बारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, गुमला को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिसई, गुमला के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है ।

अधि० सं०-1/श०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श०नि०-25--श्री देवेन्द्र प्रसाद, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), जमशेदपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूंटापानी, पश्चिमी सिंहभूम एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है।

अधि० सं०-1/श०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श०नि०-26--श्रीमती ज्योत्सना दास, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विष्णुगढ़, हजारीबाग के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है।

अधि० सं०-1/श०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श०नि०-27--श्री मनोज मनजीत, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, बोकारो स्टील सिटी को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नवाडीह, बोकारो के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है।

अधि० सं०-1/श०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श०नि०-28--सुश्री आशा मैक्सीमा लकड़ा, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, राँची अतिरिक्त प्रभार जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, सिमडेगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बानो, सिमडेगा के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है।

अधि० सं०-1/श०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श०नि०-29--श्रीमती प्रीति कुमारी, नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, दुमका को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिकारीपाड़ा, दुमका के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है।

अधि० सं०-1/श०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श०नि०-30--श्री प्रत्युस शेखर, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, गिरिडीह को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मंगरोडीह, गिरिडीह के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है।

अधि० सं०-1/श०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श०नि०-31--श्रीमती नीरु कुमारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, खूंटी को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्मा, खूंटी के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है।

अधि० सं०-1/श०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श०नि०-32--श्री राजेश कुमार, नियोजन पदाधिकारी, प्रवर्तन तंत्र, उप निदेशक (नियोजन) का कार्यालय, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हेहल, राँची के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है ।

अधि० सं०-1/श०नि०प्र० स्था०(प्र०)-01-14/2022श०नि०-33-- श्री देव कुमार प्रसाद, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, रामगढ़ को अपने कार्यों के अतिरिक्त वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कैथा, रामगढ़ के प्राचार्य का अस्थायी व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपा जाता है ।

2. सभी नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी/सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अपने पद का प्रभार ग्रहण करते हुए इसकी सूचना विभाग को भी देना सुनिश्चित की जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

गणेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SHILPI KAR, पति SANJAY KAR, SHANAILA KAR (अन्य नाम SANJANA KAR) कि माता, शपथ पत्र सं० 2051, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री SHANAILA KAR (जन्म तिथि 22 फरवरी, 2010) के नाम से जानी जायेगी।

SHANAILA KAR एवं SANJANA KAR दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 2/1, PURULIA ROAD,
GOVINDA TOWER, GHARANA PLACE,
NEAR SRS, DANGRA TOLI,
P.O.- G.P.O.,
P.S. - LOWER BAZAR,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BAWAFA DEVI अन्य नाम BIFA DEVI पति KAMALA SINGH YADAV, शपथ पत्र सं० 2757, दिनांक 25 नवम्बर, 2022 के अनुसार BAWAFA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

BAWAFA DEVI एवं BIFA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - AMRAWATI COLONY CHUTIA,
G.P.O. RANCHI,
P.S. - CHUTIA,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834001
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KIRATPREET KAUR अन्य नाम NIKITA KAUR पिता AMARJEET SINGH, शपथ पत्र सं० 3141, दिनांक 2 नवम्बर, 2022 के अनुसार KIRATPREET KAUR के नाम से जानी जाऊँगी।

KIRATPREET KAUR एवं NIKITA KAUR दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - MIG - A-27, HOUSING COLONY,
BARTAND DHANBAD
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MEJHI RAN अन्य नाम DAYAMANI BADA पति SUBODH BADA, शपथ पत्र सं० 710, दिनांक 4 अगस्त, 2022 के अनुसार MEJHI RAN के नाम से जानी जाऊँगी।

MEJHI RAN एवं DAYAMANI BADA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- H.NO.- 184,
BHARNO HET TOLI,
P.O. - BHARNO,
P.S. - BHARNO,
DIST.- GUMLA,
PIN - 835203
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KUSHAMI DEVI अन्य नाम VIMALA DEVI पति LALAN RAM, शपथ पत्र सं० 724, दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 के अनुसार KUSHAMI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

KUSHAMI DEVI एवं VIMALA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- ALIMADAD,
P.O. - KAMGARPUR,
P.S. - HUSSAINABAD,
DIST.- PALAMU,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SATYANARAYAN SAH, PUNAM KUMARI (अन्य नाम RANJAN KUMAR SAW) का पिता, शपथ पत्र सं० 3495, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री PUNAM KUMARI (जन्म तिथि 10 अप्रैल, 2007) के नाम से जानी जायेगी।

PUNAM KUMARI एवं RANJAN KUMAR SAW दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. & P.O.- ARANGI,
P.O. - KHARAUNDHI,
DIST.- GARHWA,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SUBHASH KUMAR, ISHA PASWAN (अन्य नाम REKHA KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 3540, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री ISHA PASWAN (जन्म तिथि 29 जनवरी, 2010) के नाम से जानी जायेगी ।

ISHA PASWAN एवं REKHA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - QRT. NO. - 2/34,
C.M.P.F. COLONY, DHANBAD,
P.O.& DIST.- DHANBAD,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं DHANESHWARI KUMARI BARAIK अन्य नाम DHANESHWARI KUMARI पिता CHAUDHARY BARAIK, शपथ पत्र सं० 24, दिनांक 17 नवम्बर, 2022 के अनुसार DHANESHWARI KUMARI BARAIK के नाम से जानी जाऊँगी ।

DHANESHWARI KUMARI BARAIK एवं DHANESHWARI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. & P.O.- BANSIYA,
P.S. - SILLI,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835102
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं ANKIT AGRAWAL, ATHARV AGRAWAL (अन्य नाम RYAN RAJ) का पिता, शपथ पत्र सं० 209, दिनांक 3 दिसम्बर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ATHARV AGRAWAL (जन्म तिथि 28 मार्च, 2015) के नाम से जाना जायेगा।

ATHARV AGRAWAL एवं RYAN RAJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 801, ASTHA REGENCY,
PANDRA, RANCHI,
P.O.- HEHAL,
P.S. - PANDRA,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834005
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं JAY MANGAL KUMAR अन्य नाम ROUSHAN RAJ पिता DHARMDEO RAM, शपथ पत्र सं० 18033, दिनांक 10 सितम्बर, 2022 के अनुसार JAY MANGAL KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा।

JAY MANGAL KUMAR एवं ROUSHAN RAJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - GHATAHUA KALA,
P.O. - LAMARI KALA,
P.S. - KANDI,
DIST.- GARHWA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SUKUMARI DEVI अन्य नाम SHIV KUMARI DEVI पति Late KANHAIYA SINGH, शपथ पत्र सं० 1137, दिनांक 5 नवम्बर, 2022 के अनुसार SUKUMARI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

SUKUMARI DEVI एवं SHIV KUMARI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - SECTOR 3/C,
QTR. NO.- 85,
P.O.& P.S. - B.S.CITY,
DIST.- BOKARO,
PIN - 827003
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PARDUMAN KUMAR TIWARI, ANSHUMAN RAJ TIWARI (अन्य नाम PAARTHA TIWARI एवं SHAURYA) का पिता, शपथ पत्र सं० 918, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ANSHUMAN RAJ TIWARI (जन्म तिथि 25 सितम्बर, 2012) के नाम से जाना जायेगा।

ANSHUMAN RAJ TIWARI, PAARTHA TIWARI एवं SHAURYA तीनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - NEAR KIDS GARDEN PUBLIC SCHOOL,
ARSANDE,
P.O.- BOREYA,
P.S. - KANKE,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SAROJ KUMAR JHA अन्य नाम SAROJ JHA पिता Late KAUSHAL KISHOR JHA, शपथ पत्र सं० 13, दिनांक 2 जनवरी, 2023 के अनुसार SAROJ KUMAR JHA के नाम से जाना जाऊँगा ।

SAROJ KUMAR JHA एवं SAROJ JHA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VIDYAPATI NAGAR, KANKE ROAD,
P.O. - RANCHI UNIVERSITY,
P.S. - GONDA,
DIST.- RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND
